निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 भाद्र 1943 (श0)

(सं0 पटना 793) पटना, सोमवार, 20 सितम्बर 2021

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

अधिसूचना

27 अगस्त 2021

सं० गव्य/(न0–06)01/2014/895—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अधीन गव्य विकास निदेशालय के अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों के लिपिकीय संवर्ग में भर्त्ती प्रक्रिया, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त्तो को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :—

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ ।** —

(1) यह नियमावली ''गव्य विकास निदेशालय लिपिकीय संवर्ग (भर्त्ती एवं सेवाशर्त्ते) नियमावली, 2021'' कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा तथा गव्य विकास निदेशालय के सभी अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों पर समान रूप से लागू होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषाएँ। — इस नियमावली में जब तक किसी संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो —**

(1) ''संवर्ग'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार के गव्य विकास निदेशालय (पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग) के अधीन लिपिकीय सेवा के कर्मियों का संवर्ग;

(2) ''आयोग'' से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना ;

(3) ''नियुक्ति प्राधिकार'' से अभिप्रेत है निदेशक, गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना ;

(4) ''नियत तिथि'' से अभिप्रेत है इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि ;

(5) ''सदस्य'' से अभिप्रेत है संवर्ग में नियुक्त कोई व्यक्ति तथा इसमें इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व से संवर्ग में नियुक्त सभी व्यक्ति शामिल है ; तथा

(6) ''अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति'' से अभिप्रेत है सेवाकाल में ऐसे सरकारी सेवकों के, जो अपनी सेवा–अवधि में मृत हो गए हो, के आश्रितों में से किसी एक की प्रासंगिक परिपत्रों, अनुदेशों के अनुसार अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति।

3. **संवर्ग की संचरना।** – लिपिकीय संवर्ग की संवर्ग संरचना निम्नवत होगी –

क्रमांक	कोटि का नाम	स्तर
1	निम्नवर्गीय लिपिक	मूल कोटि
2	उच्चवर्गीय लिपिक	प्रथम प्रोन्नति स्तर
3	प्रधान लिपिक/प्रधान लिपिक–सह–लेखापाल	द्वितीय प्रोन्नति स्तर

उक्त पदों का स्वीकृत बल तथा वेतनमान/वेतन स्तर वही होगा जैसा, समय–समय पर, सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाय।

टिप्पणी – निम्नवर्गीय लिपिक, उच्चवर्गीय लिपिक तथा प्रधान लिपिक/प्रधान लिपिक–सह–लेखापाल का पदसोपान विभागीय पत्रांक–180 दिनांक–29.03.2005 एवं गव्य विकास निदेशालय के कार्यालय आदेश संख्या–45 सहपठित ज्ञापांक–1503 दिनांक–20.08.2018 के द्वारा चिह्नित/पदनामित पद के अनुरूप होगा।

4. **संवर्ग बल।** – संवर्ग बल ऐसा होगा, जिसका आवश्यकतानुसार समय–समय पर पुर्ननिर्धारण पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से किया जायेगा।

5. **भर्त्ती।** – (1) निम्नवर्गीय लिपिक का 85% पद सीधी भर्त्ती से भरा जायेगा और 15% पद इन्टरमीडिएट योग्यताधारी सुपात्र कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) कर्मचारियों में से भरा जायेगा।

ऐसे सरकारी सेवक जिनकी सेवाकाल में मृत्यु हो गयी हो, के आश्रितों की, सीधी भर्त्ती हेतु उपलब्ध रिक्त पदो ंके विरूद्ध अपेक्षित मानदण्ड पूरा करने पर, अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु विचारण किया जा सकेगा, जिसके लिए आयोग की अनुशंसा अपेक्षित नहीं होगी।

परन्तु सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की नियुक्ति के उपरान्त, प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष की शेष रिक्तियों के लिए अधियाचना आयोग को पूर्ववर्त्ती कैलेण्डर वर्ष के दिसम्बर माह तक भेजी जायेगी।

(2) सभी सीधी भर्त्तियाँ आयोग की अनुशंसा पर निम्नवर्गीय लिपिक की कोटि में की जायेगी।

(3) आयोग रिक्तियों को विज्ञापित करेगा और प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सफल अभ्यर्थियों का चयन करने के बाद संबंधित नियुक्ति प्राधिकार को मेधा क्रम में अभ्यार्थियों के नाम की अनुशंसा करेगा। मेधा सूची की वैधता अनुशंसा की विभाग में प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष तक रहेगी।

(4) सम्यक छानबीन के बाद नियुक्ति प्राधिकार अभ्यर्थी की नियुक्ति परिवीक्षा पर दो वर्षों के लिए करेगा।

6. **अर्हता।** – (1) न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण के ज्ञान के साथ इन्टरमीडिएट या उसके समकक्ष होगी।

(2) भर्त्ती के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होगी और अधिकतम उम्र वही होगी जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाय।

7. **आरक्षण।** – भर्त्ती एवं प्रोन्नति में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित आरक्षण/रोस्टर का अनुपालन आवश्यक होगा।

8. **प्रोन्नति द्वारा भर्त्ती।** – (1) नियुक्ति प्राधिकार इन्टरमीडिएट उत्तीर्ण कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) कर्मचारियों की वरीयता सूची तैयार करेगा।

(2) प्रोन्नति वरीयतानुसार विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर दी जायेगी।

9. **परिवीक्षा।** – प्रत्येक भर्त्ती परिवीक्षा पर दो वर्षों के लिए होगी और विशेष परिस्थितियों में इसका विस्तार एक वर्ष के लिए नियुक्ति प्राधिकार द्वारा किया जा सकेगा, यदि परिवीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं हो। ऐसा अवधि विस्तार तभी होगा जब नियुक्ति प्राधिकार की राय में परिवीक्षाधीन व्यक्ति में सुधार की गुंजाइश हो। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो संबंधित व्यक्ति को सेवामुक्त कर दिया जायेगा।

10. **विभागीय परीक्षा।** – (1) विभागीय परीक्षा राजस्व पर्षद द्वारा संचालित की जायेगी।

(2) विभागीय परीक्षा के विषय, पाठ्यक्रम एवं प्रक्रिया का निर्धारण राजस्व पर्षद, बिहार द्वारा विभाग के परामर्श से किया जायेगा।

11. **सम्पुष्टि।** – कोई परिवीक्षाधीन व्यक्ति परिवीक्षा अवधि की संतोषजनक समाप्ति तथा विभागीय परीक्षा की उत्तीर्णता के बाद सम्पुष्ट किया जायेगा।

12. **वरीयता।** – संवर्ग के सदस्य की आपसी वरीयता आयोग द्वारा निर्धारित उनकी मेधा क्रम के अनुसार होगी परन्तु इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व विनिश्चत आपसी वरीयता अपरिवर्तनीय रहेगी,

परन्तु यह कि अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति उन व्यक्तियों से कनीय होंगे जो संबंधित भर्त्ती वर्षों में प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त किये गये हैं;

परन्तु यह भी कि किसी भर्त्ती वर्ष में प्रोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति संबंधित भर्त्ती वर्ष में प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्त व्यक्ति से वरीय होंगे।

13. **प्रोन्नति।** – (1) सीधी नियुक्ति मात्र मूल कोटि के पद (नि0व0लि0) पर की जायेगी तथा सोपान के शेष पदों को प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा। मूल कोटि से उच्चतर कोटि में प्रोन्नति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित कालावधि के पूरा होने पर विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर दी जा सकेगी।

(2) विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन विभाग द्वारा अलग आदेश से किया जायेगा।

14. **संवर्ग का स्तर।** – यह राज्य स्तरीय होगा। संवर्ग के सदस्यों का स्थानान्तरण एवं पदस्थापन सहित अन्य स्थापना के मामला हेतु निदेशक (गव्य) सक्षम प्राधिकार होंगे।

15. **अवशिष्ट मामले।** – ऐसे मामलों के संबंध में, जो इस नियमावली द्वारा विशिष्ट रूप से आच्छादित नहीं है, संवर्गों के सदस्य राज्य सरकार के समुचित स्तर के पदाधिकारियों/कर्मचारियों के लिए लागू नियमावली, विनियमावली या आदेशों से शासित होंगे।

16. **कठिनाईयों का निराकरण।** – सरकार समय–समय पर ऐसा सामान्य या विशेष निदेश जारी कर सकेगा, जो इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी के कार्यान्वयन में आ रही कठिनाई के निराकरण के लिए आवश्यक हो।

17. **निर्वचन।** – जहाँ इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी के निर्वचन के संबंध में कोई शंका उत्पन्न हो वहाँ मामला विभाग द्वारा विधि विभाग से परामर्श के पश्चात् विनिश्चित किया जायेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।

18. **निरसन एवं व्यावृत्ति।** – (1)इस संवर्ग के संबंध में पूर्व में निर्गत सभी संकल्प एवं अनुदेश निरसित किये जाते हैं।

(2) ऐसा निरसन के होते हुए भी, ऐसे संकल्प, अनुदेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्रवाई समझी जायेगी मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी जिस दिन ऐसा कार्य या कार्रवाई की गयी थी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
मधुरानी ठाकुर,
सरकार के विशेष सचिव।

The 27th August 2021

No. Gavya / (N-06)01/2014/895–In exercise of the powers conferred under proviso to Article-309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules for regulating the recruitment, promotion and conditions of service of the clerical cadre of the Dairy Development Directorate under the Animal & Fisheries Resource Department.

1. **Short title, extent and commencement.-** (1) These Rules may be called as the "Dairy Development Directorate Clerical Cadre (recruitment and conditions of service) Rules, 2021".

(2) It shall extend to whole of the State of Bihar & equally apply to all the Regional Sub- Ordinate Offices of the Dairy Development Directorate.

(3) It shall come into force at once.

2. **Definitions.- In these Rules, unless in otherwise requires any :-** (1) "Cadre" means the clerical cadres of the Dairy Development Directorate under Animal & Fisheries Resource Department;

(2) "Commission" means the Bihar Staff Selection Commission, Patna;

(3) "Appointing Authority" means the Director, Dairy Development Directorate, Bihar, Patna;

(4) "Appointed day" means the date of coming into force of these Rules;

(5) "Member" means a person appointed in the cadres and includes all the persons appointed in the cadres before the coming into force of these Rules;

(6) "Appointment of compassionate ground" means appointment of any one of the dependents of the government servant dying in harness, during service period, as per relevant circulars/instructions.

3. **Cadre Structure.-** The cadre structure of the clerical cadre shall be as follows:-

SI No.	Name Of Category	Level
(1)	Lower Division Clerk	Basic Category
(2)	Upper Division Clerk	First Promotion Level
(3)	Head Clerk/ Head Clerk-Cum-Accountant	Second Promotion Level

The sanctioned strength and Pay-scale/pay-level of aforesaid posts shall be same as may be sanctioned by the Government, from time to time.

Note - The hierarchy of L.D.C,U.D.C and Head Clerk/Head Clerk-Cum-Accountant shall be in comformity with the posts marked and designated by Departmental Letter No. 180 dated 29.03.2005 and Office Order No. 45 read with Memo No. 1503 dated 20.08.2018 of the Dairy Development Directorate, Bihar, Patna.

4. **Cadre Strength.-** The cadre strength shall be such which may be re-determined by the Animal & Fisheries Resource Department, from time to time, with the consent of the Finance Department.

5. **Recruitment.-** (1) 85% posts of L.D.C shall be filled up through direct recruitment and 15% posts shall be filled up from amongst the eligible Office Attendant/Attendant (special) employees having intermediate qualification.

The dependents of such Government Servants who have died during their service may be considered for appointment on Compassionate ground on fulfilling the requisite criteria against the vacant posts available for direct recruitment, for which the recommendation of the commission will not be required.

Provided that after the appointment of the dependents of the Government Servants who died in service, the requisition for the remaining vacancies of each calendar year shall sent to the Commission by the month of December of the preceding calendar year.

(2) All direct recruitments shall be made in the category of Lower Division Clerk on the recommendation of the Commission.

(3) The Commission shall advertise the vacancies and after selection of successful candidates on the basis of competitive examination shall recommend the names of the candidates in order of merit to the appointing authorities concerned. The validity of the merit list shall be one year w.e.f. the date of receipt of recommendation in the Department.

(4) The appointing authority, after due scrutiny, shall appoint the candidates on probation for two years.

6. **Qualification.-** (1) The minimum educational qualification shall be intermediate or equivalent, with knowledge of computer operation and computer typing.

(2) Minimum age for recruitment shall be eighteen years and maximum age shall be the same as determined by the State Government (General Administration Department), from time to time.

7. **Reservation.-** Compliance of reservation/roster in recruitment as well as promotion, as notified by the State Government from time to time, shall be necessary.

8. **Recruitment through promotion.-**

(1) The appointing authority shall prepare the gradation list of Intermediate Office Attendant/Attendant (special) employees.

(2) The promotion shall be made according to seniority on recommendation of the Departmental Promotion Committee.

9. **Probation.-** Each recruitment shall be on probation for two years and it may be extended for one year in special circumstances by the appointing

authority, if the probation period is not satisfactory. Such extension shall be made only if the appointment authority is of the opinion that the probationer has a chance to improve. If the service is not found satisfactory in the extended period also, the person concerned shall be removed from the service.

10. **Departmental examination.-**(1) Departmental Examination shall be conducted by The Board of Revenue.

(2) The subject, syllabus and curriculum of Departmental Examination shall be determined by The Board of Revenue according to department advices.

11. **Confirmation.-** A probationer shall be confirmed after completion of satisfactory probation period and passing of the Departmental Examination.

12. **Seniority.-** Inter-se seniority of the member of the cadre shall be according to their merit position determined by the Commission but the inter-se seniority decided before notification of these Rules shall remain unchanged:

Provided that the person appointed on the basis of compassionate ground shall be junior to such persons who have been appointed on the basis of the Competitive Examination of concerned recruitment years:

Provided further that the person appointed through promotion in a recruitment year shall be senior to the persons appointed through the Competitive Examination in the concerned recruitment year.

13. **Promotion.-**(1) Direct recruitment shall be made only to basic category posts (L.D.C.) and remaining hierarchy posts of category shall be filled by promotion. Promotion from basic category to higher category may be given on completion of KALAWADHI as determined by the General Administration Department, from time to time and on the recommendation of Departmental Promotion Committee.

(2) The Departmental Promotion Committee shall be constituted by the Department by a separate order.

14. **Level of cadre.-** The cadre shall be of state level. Director (Dairy) shall be the competent Authority for transfer and posting including other Establishment matters of any employee of the cadre.

15. **Residuary matters.-** With regard to matters not specifically covered by these Rules, the members of the cadres shall be governed by the Rules, Regulations or orders applicable to the officers/employees of the State Government of appropriate level.

16. **Removal of difficulties.-** The Government may, from time to time, issue such general or special direction as may be necessary to remove difficulties arising in the implementation of any of the provisions of these Rules, after consultation with the Law Department.

17. **Interpretation.-** Where any doubt arises as to the interpretation of any of the provisions of these Rules, the matter shall be decided by the Department after consultation the Law Department, whose decisions shall be final.

18. **Repeal & Savings.-**(1) All resolutions and instructions issued earlier with respect to this cadre are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said resolutions, instructions shall be deemed to have been done or taken under these Rules as if these Rules were in force on the day on which such thing or action was done or taken.

By the order of Governor of Bihar,
Madhurani Thakur,
Special Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 793-571+200-डी0टी0पी0
Website: http://egazette.bih.nic.in